गैरीसन इंजीनियर (युटिलिटी) भटिंडा

बनाम

श्री नरिंदर सिंह

मई 21, 2007

(डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पाटा, जे.जे.)

श्रम कानून:-

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 सेवा के नियमितीकरण की मांग करने के संदर्भ में पोषणीय नियुक्ता का मामला कि अधिनियम उस पर लागू नहीं होता है क्योंकि उसे एक उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता अधिनिर्णित किया गया। निचले न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक स्थिति और रेफरेंस (निर्देश) की स्वीकार्यता के मुद्दे के संदर्भ में विश्लेषण करने में असफल रहा। इस प्रकार निचले न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश को अपास्त किया गया और मामले को वापिस श्रम न्यायालय को प्रेषित किया गया।

प्रत्यर्थी दैनिक मजदूरी के रूप में अपीलार्थी रक्षा मंत्रालय के साथ नियुक्त किया गया। प्रत्यर्थी नम्बर 1 की सेवायें समाप्त की गई। उसने रेफरेंस (निर्देश) व नियमितीकरण का दावा पेश किया गया था कि उसने

240 दिनों से अधिक सेवायें दी और इस प्रकार औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 की धारा 25(एफ) की अनुपालना किये बिना उसकी सेवायें समाप्त करना विधि में गलत है।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि रेफरेंस (निर्देश) स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय एक उद्योग नहीं है। श्रम न्यायालय ने अधिनिर्णित किया कि सेवाओं की समाप्ति वैध/टिकाउ नहीं है। अपीलार्थी ने अवार्ड(पंचाट) को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने श्रम न्यायालय के आदेश को पुष्टि की गई थी। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलों का निस्तारण करते हुये न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया कि:-

श्रम न्यायालय व हाईकोर्ट के आदेश के अवलोकन से यह देखा गया कि तथ्यात्मक स्थिति विस्तृत में विवेचन नहीं किया गया तथा जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचा गया। इसके अतिरिक्त रेफरेंस (निर्देश) की स्वीकार्यता के संदर्भ में विधिक मुद्दे पर विचार नहीं किया गया।

श्रम न्यायालय व उच्च न्यायालय में कार्यवाही की प्रारंभ से ही अपीलार्थी का यह विशिष्ट अभिवाक उठाया कि उस पर अधिनियम लागू नहीं है, क्योंकि वह एक उद्योग नहीं है। दुर्भाग्य से। न केवल श्रम न्यायालय बल्कि उच्च न्यायालय ने भी इस मुद्दे पर विचार नहीं किया।

श्रम न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया गया तथा रेफरेंस (निर्देश) के संबंध में अपीलार्थी द्वारा उठाये गई आपत्ति के निस्तारण हेतु मामला श्रम न्यायालय को प्रेषित किया गया। अधिनियम के तहत कार्यवाही में दावे में यह पाया गया कि यह एक उद्योग नहीं है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील संख्या 6144/2005

पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 21.05.2005 से 2005 के सी.डब्ल्यू.पी संख्या 8005 में आर.मोहन एएसजी, आशा जी नायर, आर.सी. कथिया और अनिल कटियार-अपीलार्थी की ओर से पी.एन पुरी और धीरज-प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को 1. डॉ. अरिजीत पासायत जे. द्वारा पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित किये गये आदेश को इस अपील में चुनौती दी गई थी। जिसमें केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ (जिसे बाद 'श्रम न्यायालय' के रूप में संदर्भित किया गया) द्वारा दिनांक 25.08.2003 को पारित अवार्ड (पंचाट) में शुद्धता पर प्रश्न उठाते हुये अपीलार्थी द्वारा दायर की गई रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार है कि

3. उत्तरदाता को दैनिक मजदूरी के आधार पर मजदूर के रूप में

दिनांक 01.01.1985 से 15.01.1987 तक नियुक्त किया गया था और वह विभाग की आवश्यकता अनुसार समय-समय पर मस्टर रोल रिक्तियों की विशिष्ट मंजूरी के आधार पर नियुक्त किया गया था। हालांकि, उपरोक्त मंजूरी एक अवधि में 25 दिन से अधिक किसी भी परिस्थिति में नहीं थी। उपर्युक्त अवधि में रविवार और छुट्टियों की अवधि को भी शामिल किया गया था। प्रत्यर्थी नम्बर 1 की सेवाओं के रूप में अब इनकी आवश्यकता नहीं थी। दिनांक 16.01.1987 को उसकी सेवायें समाप्त कर दी गई। लगभग पांच वर्ष बाद उत्तरदाता नम्बर 1 ने रेफरेंस (निर्देश) की मांग की और उसकी सेवाओ को नियमितीकरण करने बाबत दावा किया। उसने दावा किया कि उसने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था और फिर भी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की प्रक्रियाओं की पालना किये बिना उसकी सेवा की समाप्ति कानूनी रूप में गलत थी। अपीलार्थी ने दावा याचिका का जवाब पेश किया गया था और विशिष्ट अभिवाक किया कि अपीलार्थी रक्षा विभाग का एक हिस्सा है और एक उद्योग नहीं है और इसलिये रेफरेंस (निर्देश) स्वीकार्य नहीं है। श्रम न्यायालय ने विशेष रूप से इस पहलू पर विचार नहीं किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी ने 240 दिनों के लिये सेवायें प्रदान की है तथा उनकी बर्खास्तगी वैध नहीं है। इस पंचाट को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। इसके अतिरिक्त अन्य विवादों अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा एक विशिष्ट अभिवाक् उठाया कि अपीलार्थी एक उद्योग नहीं है और उसके अधिनियम उस पर लागू नहीं होता है।

4. उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 25 (एफ) का पालन नहीं किया गया था और इसलिये श्रम न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना था।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने मूल दलील पेश की गई कि उस पर अधिनियम लागू नहीं होता है और अपीलार्थी को एक उद्योग के रूप में नहीं माना जा सकता है और उस पर विचार नहीं किया गया।

6. इसके विपरीत प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

7. श्रम न्यायालय और उच्च न्यायायल के आदेशों से यह देखा गया कि तथ्यात्मक स्थिति का विस्तार से विवेचन नहीं किया गया और जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचा गया। इसके अतिरिक्त, रेफरेंस (निर्देश) की स्वीकार्यता के संबंध में विधिक मुद्दे पर विचार नहीं किया गया था और श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की शुरूआत से ही अपीलार्थी ने विशिष्ट याचिका दायर की कि उस पर अधिनियम लागू नहीं होता है। वह एक उद्योग नहीं है। दुर्भाग्य से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया कि न केवल श्रम न्यायालय बल्कि उच्च न्यायालय ने भी इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया था।

8. ऊपर की स्थिति को देखते हुये, श्रम न्यायालय व उच्च

न्यायालय के आदेश को अपास्त किया गया तथा मामला श्रम न्यायालय को अपीलार्थी द्वारा उठाये गये आपत्ति को निर्णित करने के लिये प्रेषित किया गया था। इस अधिनियम के तहत कार्यवाही की पोषणीयता इस दावे पर आधारित है कि वह एक उद्योग नहीं है। पक्षकारों द्वारा दिये गये साक्ष्य के आधार पर अन्य तथ्यात्मक पहलू पर विचार किया जाएगा।

9. कास्ट के संबंध में किसी आदेश के बिना तद्नुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सरोज चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।